प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रयोजनार्थ राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 की अवधि को कवर करते हुये सामान्य,सामाजिक व आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के सार्थक परिणामों को समावेशित करता है।

इस प्रतिवेदन मे उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणो मे से है जो वर्ष 2010-11 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आये परंतु ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व के वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परंतु जिन्हें पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। वर्ष 2010-11 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये है।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का निष्पादन किया गया है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 लेखापरीक्षा की योजना एवं परिमाण तथा प्रारूप कंडिकाओं एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागों के प्रत्युत्तर का वर्णन करता है और इस प्रतिवेदन में शामिल सार्थक लेखापरीक्षा अवलोकनों का सार प्रदान करता है। अध्याय 2 योजनाओं/परियोजनाओं के निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों से संबंधित है, वहीं अध्याय 3 में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का समावेश है। अध्याय 4 विभिन्न विभागो के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है।